



मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)

CIN: U40109MP2001SGC014880

राजपुस्टेड ऑफिस : ब्लाक नं. 2 शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर(म.प्र.) 482008 दूरभाष : (0761) 2702036, 2702041
फैक्स (0761) 2664450, e-mail: ce.ca@mprtransco.nic.in,



C.E. (Procurement)

M.P.P.T.C.L., Jabalpur

26 JUL 2017

R. No.

क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/III/क.अ./ 2361

/जबलपुर, दिनांक 24 JUL 2017

परिपत्र

म.प्र.वि.मण्डल के आदेश क्रमांक 01-05/I/153 दिनांक 23.10.1984 द्वारा पॉवर स्टेशन एवं राज्य मार प्रेषण केन्द्र में संचालन एवं रखरखाव की गतिविधियों में कार्यरत कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता एवं अन्य निर्दिष्ट पदों तथा आदेश क्रमांक 01-13/115 दिनांक 03.12.1991 द्वारा कनिष्ठ अभियंताओं हेतु राजपत्रित अवकाश इत्यादि का उपभोग न करने के एवज में क्षतिपूर्ति भुगतान का प्रावधान किया है। म.प्र. विद्युत मण्डल के आदेश क्रमांक 01-05/I/1-166(8)/81 दि.13.05.1986 द्वारा यह सुविधा 400 के.व्ही. उपकेन्द्रों एवं कंपनी के आदेश क्रं. 699 दि. 05.05.2007 द्वारा उप-भार प्रेषण केन्द्रों में शिफ्ट ड्यूटी में कार्यरत उक्त श्रेणी के कर्मियों हेतु भी प्रदान की गई।

कंपनी के आदेश क्रं. 2814 दि. 23.12.2012 से कंपनी केडर के कर्मियों हेतु वेजेज एण्ड एलाउंसिस मेनुअल (WAM) दि. 01.04.2012 से लागू किया गया। तदुपरांत आदेश क्रं. 1260 दिनांक 10.05.2013 के द्वारा भार प्रेषण केन्द्र, उप-भार प्रेषण केन्द्रों एवं 400 के.व्ही. उपकेन्द्र के साथ ही 220 के.व्ही. उपकेन्द्रों शिफ्ट ड्यूटी में कार्यरत कंपनी केडर के कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंताओं को राजपत्रित अवकाश/ साप्ताहिक अवकाश/ द्वितीय शनिवार इत्यादि में शिफ्ट ड्यूटी करने के एवज में क्षतिपूर्ति भुगतान का प्रावधान दि. 01.05.2013 से किया गया। कंपनी के नोटिफिकेशन क्रं. 2827 दि. 11.09.2013 के द्वारा वेजेज एवं एलाउंसिस मेनुअल (WAM) को दिनांक 31.08.2013 के पश्चात् सीज़ करते हुये यह प्रावधान किया गया कि पेंशन नियम 1976 के अतिरिक्त कंपनी केडर के कर्मियों की समस्त सेवाशर्तें पूर्ववर्ती म.प्र.विद्युत मण्डल के कर्मियों के अनुरूप होगी। अतः दि. 31.08.2013 से वेजेज एवं एलाउंसिस मेनुअल (WAM) को सीज़ करने के फलस्वरूप 220 के.व्ही. उपकेन्द्र में शिफ्ट ड्यूटी में कार्यरत कंपनी केडर के कनिष्ठ अभियंताओं हेतु क्षतिपूर्ति भुगतान के उक्त प्रावधान दिनांक 01.05.2013 से दि. 31.08.2013 तक ही लागू रहेंगे तथा इसके पश्चात् स्वतः ही निरस्त माने जावेंगे।

Himaly
मुख्य अभियंता (कार्पो.अफेयर्स)

/जबलपुर, दिनांक

24 JUL 2017

क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/III/क.अ./ 2362

प्रतिलिपि :-

1. कार्यपालक निदेशक (सीआरए)/ (मा.संसा.एवं विकास), म.प्र.पावर ट्रांस. कं लिमि., जबलपुर।
2. मुख्य अभियंता (अ.उ.दा.-संधा एवं निरी.) / (परीक्षण एवं संचार) / (अउदा-निर्माण) / (योजना एवं रूपांकन) / (प्रोक्वोरमेंट) / (राज्य भार प्रेषण केन्द्र) / (जबलपुर क्षेत्र) / (भोपाल क्षेत्र) / (इंदौर क्षेत्र), म.प्र. पावर ट्रांस कं लिमि., जबलपुर/भोपाल/इन्दौर
3. मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र. पावर ट्रांस. कं लिमि., जबलपुर।
4. अति.मुख्य अभियंता (आई.टी.-ईआरपी) / (सिविल- ट्रांस) / (संचा-संधा) म.प्र. पावर ट्रांस. कं लिमि., जबलपुर।
5. अधीक्षण अभियंता (परीक्षण एवं संचार) / (अउदा-निर्माण) / (अउदा-संचारण) / 400 के.व्ही. उपकेन्द्र वृत्त / (सतर्कता) म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि.,
6. कार्यपालन अभियंता (परीक्षण) / (संचार) / (अउदा-निर्माण) / (अउदा-संधारण) / (ट्रांस-भंडार) / 400 के.व्ही. उपकेन्द्र संभाग / वर्कशाप, संभाग म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि.,
7. क्षेत्रीय लेखाधिकारी, म.प्र. पावर ट्रांस. कं लिमि., जबलपुर/भोपाल/इन्दौर
8. स्टाफ आफीसर संबद्ध प्रबंध निदेशक, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
9. निज राधिव संबद्ध संचालक (तकनीकी), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
10. कंपनी राधिव/कल्याण अधिकारी, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
11. वैब मारटर, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर - वैब साईट पर अपलोड करने हेतु।

Coanhan

अधीक्षण अभियंता-एक
कार्या. मुख्य अभियंता(कार्पो.अफेयर्स)

SK(TT)
[Signature]